पत्रांक: 242 /8-2/4/MGNREGA/2020-21
दिनांक: 02 अगस्त, 22

दिनांक 22 जुलाई, 2022 को अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल का जनपदवार चयन हेतु लोकपाल चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 22 जुलाई 2022 को अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल के जनपदवार चयन हेतु चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। जनपद चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी के लोकपाल के रिक्त पद के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन किये जाने हेतु जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर उपस्थित आवेदकों का साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार में श्री राजकिशोर मिश्रा, रूपायन, स्टेच्यूपारा, भवानीपत्ना, कालाहांडी, उड़ीसा (केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत प्रख्यात नागरिक समाज के सदस्य के प्रतिनिधि) वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। साक्षात्कार के उपरान्त सर्वसम्मति से जनपदवार वरीयताक्रम / पैनल निम्न प्रकार निर्धारित किया गया –

क्र०सं०	जनपद	अभ्यर्थी का नाम	अभ्युक्ति / चयनित वरीयता
1	चम्पावत	श्री ललित मोहन शाह	प्रथम वरीयता (लोकपाल हेतु चयनित)
2		श्री भुवन चन्द्र जोशी	द्वितीय वरीयता
3		श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा	तृतीय वरीयता
4	रुद्रप्रयाग	श्री चण्डी प्रसाद चमोली	प्रथम वरीयता (लोकपाल हेतु चयनित)
5		श्री सोहन सिंह	द्वितीय वरीयता
6	उत्तरकाशी	श्री मान सिंह राणा	प्रथम वरीयता (लोकपाल हेतु चयनित)
7		पदम दत्त जोशी	द्वितीय वरीयता
8		श्री ऋषि कुमार	तृतीय वरीयता

लोकपाल हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में एम्पैनल किया गया है। उनमें यदि प्रथम वरीयता का अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से योगदान नहीं करता है अथवा भविष्य में अन्यथा अपात्र पाया जाता है या अन्य किसी कारणवश लोकपाल की रिक्ति होती है तो ऐसी स्थिति में अगली वरीयता वाले अभ्यर्थी को लोकपाल नियुक्त किया जायेगा। इसके लिए चयन समिति की पुनः बैठक किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पैनल प्रारम्भ में 02 वर्ष के लिए मान्य होगा जिसे एक–एक वर्ष कर पुनः दो वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय/राज्य की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। जिससे 30 दिन के भीतर उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त कर ली जायें। यदि आपत्तियां प्राप्त होती है तो आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अध्यक्ष चयन समिति के स्तर से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में सचिव, ग्राम्य विकास के स्तर से प्रथम वरीय अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जायेगा। लोकपाल का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा जिसे प्रगति के आधार पर 1–1 वर्ष कर कुल 2 वर्षो हेतु पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

अन्त में धन्यवाद के साथ लोकपाल चयन समिति की बैठक का समापन किया गया।

Rajkishor Mishra.

(श्री आनन्द बर्द्धन)
अध्यक्ष, चयन समिति
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(डा० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
सदस्य संयोजक
सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।

(श्री राजकिशोर मिश्रा)
सदस्य
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत सदस्य